Hkkjrd mPpre U; k; ky; ds I e{k vkijkf/kd vihyh; {ks=kf/kdkfjrk

vkijkf/kd vihy dz1112@2015

विजय रैकवार् अपीलार्थी

बनाम

मध्यप्रदेश शासन प्रत्यर्थीगण

fu.kZ

<u>U; k; effr2 , e- vkj- 'kkg</u>

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा अपील क्रमांक 198/2014 में पारित आछिप्त निर्णय एवं आदेश दिनॉक 02.07.2014 से व्यथित एवं असंतुष्ट हूँ, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने कथित अपील को खारिज कर, विद्वान अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रेहली जिला सागर म.प्र. द्वारा,सेशन विचारण क. 49/2013 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनॉक 23.12.2013 को संपुष्ट किया है तथा मुख्य अपराधी को भ.द.सं की धारा 372 (2) (एफ) तथा धारा 201 के अंतर्गत दण्डनिय अपराध तथा लैगिक उत्पीड़न से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पोकसो अधिनियम) की धारा 5 (आई),5 (एम) एवं 5 (आर) सहपठित धारा 6, के अंतर्गत दण्डनिय अपराध, के लिए दोषसिद्धी को संपुष्ट किया है तथा मृत्युदंड की पुष्टि की है, मुख्य अपराधी ने वर्तमान अपील लगाई है ।

2. यह कि न्यायालय द्वारा अपीलार्थी / मुख्य आरोपी का विचारण, $7\frac{1}{2}$ वर्ष की नाबालिग लड़की का रेप करने के बाद उसकी हत्या करने के लिए धारा भ.द.सं की धारा 376 (2) (एफ) एवं 201 तथा पोकसो अधिनियम की धारा 5 (आई),5 (एम) तथा 5 (आर) सहपठित धारा 6 के अंतर्गत दंडिनय अपराध से किया गया ।

अभियुक्त के विरूद्व बरामद सामग्री का विचार करने पर तथा साक्ष्यो का मुल्यांकन करने पर, तथा यह विचार करने पर कि अभियुक्त अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया, तथा पीडित की फ्रांक, गद्दे तथा चादर में लगे खून अभियुक्त के घर में पाये गये, जिसका स्पष्टीकरण अभियुक्त द्वारा नही दिया गया तथा चिकित्सीय साक्ष्य का विचार करने पर, विचारण न्यायालय ने भ.द.सं की धारा 376 (2) (एफ) तथा धारा 201 साथ ही साथ पोकसो अधिनियम की धारा 5 (आई),5 (एम) एवं 5 (आर) सहपठित धारा (6) के अपराध के लिए अभियुक्त को दोषसिद्ध किया। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा जुर्माना सहित कारावास के अन्य निबंधनों से दंडित किया है । सभी सजायें एक साथ चलने का निर्देश दिया गया है। विदवान अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ने माननीय उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश प्रस्तुत किया। दोषसिद्धी एवं दंडादेश से व्यथित होकर, अभियुक्त ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष किमिनल अपील क. 198/2014 दायर की, आछेपित निर्णय एवं आदेश के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश का निपटारा अभियुक्त के विरूद्ध किया। अभियुक्त द्वारा की गई किमिनल अपील को भी खारिज किया, जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दोषसिद्धी एवं सजा की संपुष्टी माननीय उच्च न्यायालय ने की है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित निर्णय एवं आदेश से व्यथित एवं असंतुष्ट महसूस कर रहा हूँ,। दोषिसिद्ध एवं मृत्यूदंड की सजा के विरूद्ध अभियुक्त ने वर्तमान किमिनल अपील की है।

- 3. हमने अभियुक्त की ओर से उपस्थित होने वाले विदवान अधिवक्ता को विस्तार से सुना ।
- 4. अभियुक्त की ओर से उपस्थित होने वाले विदवान अधिवक्ता ने सख्ती से प्रस्तुत किया इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, दोनों ही निचले न्यायालयों ने आरोपी को भ.द.सं की धारा 376 (2) (एफ) तथा धारा 201 साथ ही साथ धारा 5 (आई),5 (एम), एवं 5 (आर) सहपठित पोकसो अधिनियम की धारा (6) के अंतर्गत अपराध का दोषी करार कर सारवान भूल की है। उन्होनें सख्ती से प्रस्तुत किया है की वर्तमान मामले में, घटना का कोई भी चक्षु साक्षी नहीं है तथा पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। यह भी प्रस्तुत किया है कि जब तक कि साक्ष्य की श्रंखला को देखते हुये अपराध कारित करने में अभियुक्त का दोषी होना संदेह से पेर सिद्ध नहीं होता, दोनों ही न्यायालयों ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करने में सारवान भूल की है।
- 5. अनुकल्पतः , अभियुक्त की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने मृत्यदंड को आजीवन कारावास में लघुकृत करने की विनती की है । अभियुक्त की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने माननीय न्यायालय के निर्णय जो कि बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 SCC 684 साथ ही साथ हाल ही में

निर्णित मामला शयाम सिंह उर्फ भीमा विरूद्ध म.प्र. राज्य (2017) II SCC 265 पर बहुत ही भरोसा किया है ।

6. उभयपक्षों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना गया । संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता के द्वारा किए गए निवेदन को विचार में लेते हुए तथा विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य के मुल्यांकन पर अभिलिखित निष्कर्ष जो की माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किये गए थे, हम इस बात पर अडिग है कि भ.द.सं की धारा 376 (2) (एफ) तथा धारा 201 साथ ही साथ पोकसो अधिनियम की धारा 5 (आई),5 (एम), एवं 5 (आर)सहपठित धारा 6 के अतंर्गत अपराध के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धी हस्तक्षेप करने योग्य नहीं है चूंकि, सेशन न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष तथा उच्च न्यायालय द्वारा सम्पुष्टि, साक्ष्य के मुल्यांकन पर आधारित है

6.1 वर्तमान मामले में, यह सिद्ध करने में कि अभियुक्त पीड़ित के साथ अंतिम बार देखा गया था अभियोंजन सफल रहा है, यह कि उसने पीडित को एक रूपये का सिक्का दिया, उसने एक साक्षी अर्थात भारती, जो कि पीडित के साथ थी को जाने के लिए कहा, तत्पश्चात् पीडिता की लाश अभियुक्त के घर के पास पाई गई तथा पीडिता की फॉक खाट पर पड़ी थी तथा गद्दे एवं चादर पर खून लगा था और वही खून पीडिता के रक्त समूह (ब्लड ग्रूप) से मिलता है तथा दं.प्र.सं की धारा 313 के अंतर्गत बयान में अभियुक्त अपने विरुद्ध बरामद सामग्री / साक्ष्य का स्पष्टीकरण नहीं दे पाया है, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को उचित रूप से दोषसिद्ध किया है जो कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से पुष्ट किया गया है । अभियुक्त की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता, न्यायालय को संतुष्ट करने में विफल रहा है कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष जो कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किया गया है जिसमें अभियुक्त को नाबालिग लड़की का रेप करने के बाद उसकी हत्या करने का दोषी माना गया है, किस तरह अनुचित एवं अभिलेख पर साक्ष्य के विपरीत है, उपरोक्त परिस्थितियों में , हम विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धी के निर्णय एवं आदेश को पुष्ट करते है।

7 अब जहाँ तक अभियुक्त की ओर से किए मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास में लघुकृत करने के निवेदन तथा प्रार्थना का सवाल है, अभियुक्त की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता को सेशन न्यायालय द्वारा अधिरोपित मृत्युदंण्ड के प्रश्न पर, सुनने के पश्चात्, जो कि उच्च न्यायालय द्वारा संपुष्ट किया गया है तथा मामले की परिस्थितियों तथा समग्रता को तथा बचन सिंह (पूर्व) एवं शयाम सिंह (पूर्व) के मामलो में न्यायालय के निर्णयों को, विचार करने पर, हमारी यह राय है कि वर्तमान मामला ''विरल से विरलतम मामलों'' की श्रेणी मे नहीं आता जिसमें मृत्यु दण्ड दिया जा सकेगा। हमने प्रत्येक परिस्थिती एवं अपराध साथ ही साथ

अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने को प्रेरित करने वाले तथ्यों को विचारा यद्यपि, हम अपराध की गंभीरता को स्वीकार करते हैं, हम स्वयं को संतुष्ट करने में असमर्थ है कि क्या यह मामला ''विरल से विरलतम मामला'' की श्रेणी में आएगा जिसमें मृत्यु दण्ड दिया जा सके । कारित अपराध को निश्चित रूप से कुर कहा जा सकता है परन्तु इसमें मृत्यु दण्ड नहीं दीया जा सकेगा। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अभियुक्त पूर्व दोषसिद्ध नहीं था या एक पेशेवर हत्यारा नहीं था। अपराध कारित करते समय वह 19 वर्ष का था। उसका जेल का आचरण भी अच्छे होने की सूचना थी । पूर्वोक्त प्रश्मनकारी परिस्थितियां तथा इस न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णयों को विचार में लेते हुए, हमारा यह मानना है कि मृत्यूदण्ड को आजीवन कारावास में लघुकृत करना न्याय के हित में होगा।

8. उपरोक्त को देखते हुए एवं उपरोक्त वर्णित कारणों से लिए, वर्तमान अपील दोषसिद्धी को चुनौती देते हुए खारिज की जाती है । भं.द.सं की धारा 376 (2) (एफ) तथा धारा 201 साथ ही साथ पोकसो अधिनियम की धारा 5 (आई),5 (एम) एवं 5 (आर) सहपठित धारा 6 के अंतर्गत अपराध के लिए उसकी दोषसिद्धी की संपुष्टी की जाती है। जबिक मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में तथा पूर्वोक्त संदर्भित कारणों से, हम मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास में लघुकृत करते हैं ।

9. वर्तमान अपील, उपरोक्त के संदर्भ में, उपरोक्तानुसार निराकृत की जाती है

न्यायमूर्ति ऐ.के. सिकरी

न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नाजिर

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह

नई दिल्ली 05 फरवरी, 2019